(76)

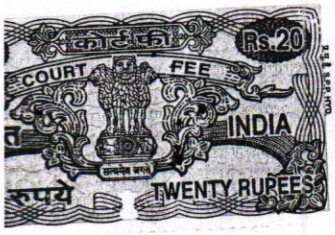

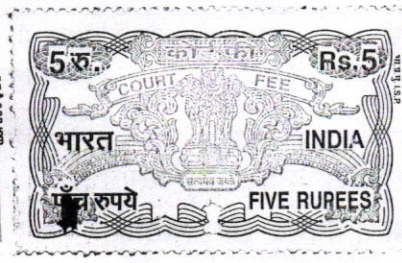

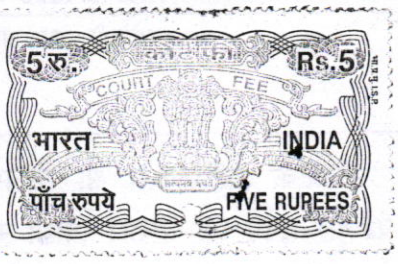

दिनांक 21/2/18 ... श्री ... अभिभाषक निलेश पटेल द्वारा प्रस्तुत 21/2/18

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0 प्र0

PBR/निगरानी/झाबुआ/भू.रा/2018/1388

1:– खुमसिंह पिता कानजी मूणिया नि0 बनी

2:– वरसिंग पिता कानजी मूणिया नि0 बनी

3:– नरसिंग पिता कानजी मूणिया नि0 बनी

4:– गट्टू पिता कानजी मूणिया नि0 बनी

तहसील पेटलावद जिला झाबुआ म0 प्र0 ————प्रार्थी निगरानीकर्तागण

वि0

सेहनलाल पिता रतनलाल जी सुराना जैन

निवासी बनी तहसील पेटलावद जिला झाबुआ ———— विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0भू0रा0स0 1959

न्यायालय नायब तहसीलदार पेटलावद जिला झाबुआ के रा0 प्र0 क0 16–अ–70 / 17–18 में पारित आदेश दिनांक 8–9–17 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/झाबुआ/भूरा/2018/1388

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री निलेश पटेल द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दि. 8-9-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह अवधि बाह्य निगरानी प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन व तर्क में प्रत्येक दिवस के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाते हुये उनके द्वारा अभिभाषक द्वारा आदेश की जानकारी विलम्ब से देने का कारण दर्शाया है जो समाधानकारक मान्य नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में 1992 आरएन 289 लंगरी(श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा - 5 - व्याप्ति - अधिकारिता की प्रकृति - वैवेकिक है - पक्षकार विलम्ब माफी के लिये अधिकार के रूप में हकदारनहीं है - पर्याप्त कारण का सबूत - अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त है -न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढा सकता ।" अत: उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में यह निगरानी समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	